## बाबूलाल बनाम कमला वगै0

अपील संख्या : 2023/ 210

| | |
|---|---|
| 11.10.2023 | विद्वान अधिवक्ता अपीलांट श्री शम्भूदयाल शर्मा की ओर से यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 171/प्रा.पत्र/2023 में पारित निर्णय दिनांक 06.10.2023 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।<br><br>विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस अपील के एडमिशन व स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अन्तरिम स्थगन हेतु सुनी गई।<br><br>अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त अपीलाधीन शामलाती खाते की भूमि का विधिवत् बंटवारा कराये बिना हरे पेडो को नहीं काटने, भूमि पर निमार्ण नहीं करने तथा बोरिंग व चाह से सिंचाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा भूमि को रहन, बेचान , अंतरण नहीं करने व बेदखल नहीं करने व अन्य व्यक्तियों को जबरन कब्जा नहीं देने व यथास्थिति बनाये रखने बाबत बंटवारे के वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र बाबूलाल बनाम कमला वगै0 मिसल नम्बर 171/23 अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया था जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में मानकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.08.2023 को अपीलाधीन भूमि को विधिवत् बंटवारा कराये बिना रहन, बेचान अंतरण नहीं करने , भूमि पर से बेदखल नहीं करने व निर्माण कार्य नहीं करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.10.2023 तक अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर देने के बावजूद प्रकरण मे बहस नही सुनकर पूर्व में जारी स्थगन आदेश को निरस्त कर जवाब तलबी पेशी दिनांक 25.10.2023 नियत कर दी गई जिसका अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि पर से प्रार्थीगण को बेदखल करने, भूमि को खुर्द–बुर्द करने तथा विधिवत् बंटवारा कराये बिना ही निर्माण कर कृषि स्वरूप नष्ट करने तथा अन्य व्यक्तियों को कब्जा देने को आमादा है। साथ ही अपीलांटगण विवादित भूमि का विभाजन कराये बिना ही मौके पर निर्माण कार्य कर रहे है तथा आज ही |

उन्होने नीवं खुदवाना मौके पर प्रारंभ कर दिया है। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के हितों की सुरक्षार्थ अपीलाधीन भूमि की रक्षार्थ अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 06.10.2023 को पारित स्टे वेकेंट के आदेश को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 17.08.2023 को पारित आदेश को अंतिम निर्णय तक प्रभावी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है, अन्यथा अप्रार्थीगण मूलवाद/प्रार्थना–पत्र के निर्णय से पूर्व ही वादग्रस्त भूमि को रहन, बेचान, अंतरण कर खुर्द–बुर्द कर देंगे तथा प्रार्थीगण को बेदखल कर देंगे एवं भूमि पर अन्य व्यक्तियों को कब्जा दे देंगे जिससे अपीलांट प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी , जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से सम्भव नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ताफैसला अपील अपीलाधीन भूमि के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली द्वारा बाबूलाल वगै0 बनाम कमला वगै0 प्रार्थना–पत्र संख्या 171/23 में दिनांक 06.10.2023 को स्थगन आदेश वेकेंट–निरस्त करने बाबत पारित आदेश निरस्त फरमाया जाना तथा दिनांक 17.08.2023 को पारित आदेश को अंतिम निर्णय तक प्रभावी करने के आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने न्यायिक दृष्टांत 2021(2) आर.आर.टी. पेज 1325, 2022(1) आर.आर.टी. पेज 114, 2022(2) डी.एन.जे.(रेवेन्यु) पेज 901 तथा फोटोग्राफ प्रस्तुत किये। अन्त में अपीलाधीन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम रूप से कायम रखे जाने का निवेदन किया।

हमने स्थगन प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया । पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के कुछ अंश इस प्रकार है, "हमने वकील पक्षकारान् की अंतरिम स्थगन आदेश पर बहस सुनी।" इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस अंतरिम स्थगन पर सुनी हैं। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में पारित किया है कि, "हमने वकील पक्षकारन द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। न्यायालय सहखातेदार के विरूद्ध अंतरिम रूप से जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी रखना उचित नहीं समझता है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश कर दिया गया, जवाब में अंकित तथ्यों का मूलवाद में विचारण उपरान्त निर्णय किया जाना है। अतः प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 17/08/2023 जारी अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त की

जाती है। पत्रावली वास्ते पेश करने जवाब अप्रार्थी 7 व 9 व तलबी तलबाना अप्रार्थी स. 8 पेश करने हेतु दिनांक–25/10/2023 को पेश हो।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 'अंतरिम प्रकृति' का आदेश है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की है तथा अपने स्थगन प्रार्थना पत्र में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 06.10.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्टगण मौके पर अविभाजित सहखातेदारी की भूमि पर हाइवे के साथ–साथ बिना किसी स्वीकृति के निर्माण कार्य कर रहे है तथा आज नीवं खुदवा दी है। यदि निर्माण कार्य हो गया तो अपीलांट प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। हमारे मत में प्रथम दृष्ट्या विवादित भूमि सहखातेदारी की प्रतीत होती है। परन्तु बिना किसी विधिक आदेश के सहखातेदारी की अविभाजित भूमि पर निर्माण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रकरण के अर्जेनट नेचर को देखते हुए तथा विवादग्रस्त भूमि को संरक्षित करने हेतु उभयपक्षकारान अविभाजित विवादित भूमि पर दिनांक 25.10.2023 तक कोई निर्माण कार्य नहीं करें। विचारण न्यायालय में प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 25.10.20123 नियत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाने का कोई औचित्य नहीं है। विचारण न्यायालय दिनांक 25.10.2023 को उभयपक्षकारान को सुनकर नियमानुसार प्रार्थना–पत्र का अंतिम रूप से निस्तारण करें।

उपर्युक्त विवेचन विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह यथासंभव दिनांक 25.10.2023 को उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 11.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा